संख्या ....../उन्तीस(2)/06-(104पे0)/2006

प्रेषक,

कुँवर सिंह,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन,

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तरांचल जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांक 30 अगस्त, 2006

विषयः- कोटद्वार नगर हेतु एक अतिरिक्त नलकूप छिद्रण एवं पाईप लाईन कार्यो हेतु प्रशासकीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र संख्या 1985/नलकूप छि0/ 2006-07 दिनांक 22.07.2006 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद पौडी गढ़वाल के अन्तर्गत कोटद्वार नगर हेतु एक अतिरिक्त नलकूप छिद्रण एवं पाईप लाईन कार्यो हेतु अनु0लागत रू0 97.85 लाख के प्राक्कलन का टी. ए. सी. द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्य पूर्ण पाई गई धनराशि रु0 96.70 लाख (रुपये छियान्वे लाख सत्तर हजार मात्र) की लागत के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है।

(1) उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों तथा जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(2) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(3) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत मानक है, स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(4) एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(5) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताए तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग/विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(6) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली-भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों के साथ अवश्य करा लें। स्थल निरीक्षण के पश्चात् आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

(7) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(8) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लायी जाय।

(9) जी0पी0डब्ल्यू0 फार्म 9 की शर्तो के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

(10) मुख्य सचिव उत्तरांचल के शासनादेश संख्या 2047–XIV-219(2006) दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम मे कार्य करते समय अथवा आगणन गठित करते समय कडाई से पालन करने का कष्ट करें।

2– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 491/XXVII(2) /06 दिनांक 25 अगस्त, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(कुँवर सिंह),
अपर सचिव

पृ0सं0 1720 /उन्तीस(2)/06–(104पे0)/2006 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल।
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पेयजल निगम, देहरादून।
5. अधिशासी अभियन्ता, उत्तरांचल जल संस्थान, कोटद्वार को इस आशय से प्रेषित की स्वीकृत धनराशि का आहरण करने के साथ ही सम्बन्धित अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता को शासन में भेज कर आगणन मे की गयी कटौतियों के विवरण को नोट करने हेतु निर्देशित करें।
6. वित्त अनुभाग–2/वित्त (बजट सैल)/नियोजन प्रकोष्ठ उत्तरांचल।
7. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
8. स्टाफ आफिसर–मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
9. निदेशक, सूचना एंव लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नवीन सिंह तड़ागी)
उप सचिव